नोटा बटन की व्यवस्था: भारतीय लोकतंत्र में उपादेयता

डॉ शिखा अग्रवाल

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान,, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान, भारत

डॉ लक्ष्मी माल सिंघवी ने कहा था, "हमारे संविधान में आधुनिक उदारवादी दर्शन के सारतत्व, सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, परंतु इसके पूरे अर्थ का उद्घाटन होना अभी बाकी है। अभी इसे न्याय, स्वतंत्रता तथा क्षमता के उदात्त लक्षणों की सिद्धि का शासन बनाया जाना शेष है। यदि हमें इस महत् तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने निर्वाचन प्रक्रमों के वास्तविक स्वरूप तथा त्रुटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त करें और उनकी शुद्धता की रक्षा के लिए पृथक प्रयास करें।"

भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है परंतु यह भी सच है कि भारतीय जनता 55% से ज्यादा मतदान करने सामान्य तौर पर बाहर नहीं निकलती। बेल्जियम, नीदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा और ऑस्ट्रिया आदि देशों में मतदान करना अनिवार्य है परंतु भारत में अनिवार्य मतदान का प्रावधान नहीं है। ऐसे में चुनाव में अनुपस्थित मतदाताओं की बड़ी संख्या सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके लिए जागरूकता लाने तथा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियां बनी जिसमें तारकुंडे समिति, संयुक्त संसदीय समिति, आठ दलीय स्मरण पत्र 1975, दिनेश गोस्वामी समिति, दल बदल रोकने के लिए कानून बना तो वही प्रत्याशियों की संपत्ति की घोषणा और आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी चुनाव आयोग ने मांगी। इसी क्रम में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन कर धारा 61 A जोड़ी गई जिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग मतदान के लिए किया जा सके। नवंबर 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं का प्रयोग हुआ। 1999 में गोवा विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ। लोकसभा के चुनाव में 45 संसदीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ लेकिन 1999 में आम चुनाव में भी मतदान प्रतिशत केवल 58.3 प्रतिशत ही रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या मतदाताओं की अनुपस्थिति बनी, जिस से चुनाव प्रक्रिया मजाक बन गई। एक तरफ जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों पर विचार किया जा रहा था वही जनता की कसौटी पर खाते नहीं उतरने वाले उम्मीदवारों को ना करने के लिए कोई तरीका मतदाताओं को दिए जाने पर भी विचार किया जाने लगा, जिससे मतदान केंद्र तक पहुंचने की उदासीनता को खत्म कर मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और अपनी पहचान गुप्त रखकर मतदाता नकारात्मक मतदान कर सके। 29 मई 2001 को विधि आयोग ने इस उद्देश्य से 'नन ऑफ़ द अबोव' की व्यवस्था की सिफारिश की। 2004 में पूर्व चुनाव आयुक्त टी. एस. कृष्णमूर्ति ने चुनाव नियमों में (कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स)संशोधन की मांग की। यह संशोधन इस आशय से चाहा गया था कि ईवीएम मशीन में तटस्थ अथवा नकारात्मक मतदान की सुविधा भी होनी चाहिए।[1] 2004 में ही पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करके 49- ओ को चुनौती दी जिससे 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ईवीएम में नोटा बटन शामिल करने का प्रावधान शुरू हुआ।

चुनावों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसने भारतीय चुनावी रिफॉर्म में एक बड़ा बदलाव का रास्ता खोल दिया। इसमें पहला था - यदि कोर्ट द्वारा 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को मिलती है तो उसे संसद और विधानसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला इलेक्शन कमीशन को दिया गया जिसमें 'नन ऑफ़ द अबोव' - नोटा, इनमें से कोई नहीं, का ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शामिल करने को कहा गया। यह दोनों ही निश्चित रूप से ऐतिहासिक फैसले हैं जो भविष्य में सामाजिक पसंद और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। पहला फैसला देश में स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त, अच्छी और पारदर्शी सरकार बनाने में सहायता करेगा वही दूसरा फैसला मतदाताओं को अपनी वोट देने की प्राथमिकताओं में स्वतंत्रता और लचीलापन देगा।[2]

लेकिन भारत में अनिवार्य मतदान नहीं होने से सामान्य तौर पर मतदाता मत देने बाहर नहीं आते थे। ऐसे में इस विकल्प से मतदाताओं की उदासीनता को तोड़ने के बारे में प्रयास किया गया। इस में मतदाता बिना अपनी पहचान उजागर किए नकारात्मक मतदान कर सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस अधिकार को 'नन ऑफ़ द अबोव' 'अगेंस्ट ऑल', 'स्क्रैच वोट', 'ब्लैंक वोट' जैसे नाम से जाना जाता है।[3] अमेरिका के नेवाडा राज्य को 1978 में सबसे पहले नोटा को अपनाने के लिए जाना जाता है हालांकि वर्ष 2000 में इसे समाप्त कर दिया गया। रूस ने भी 2006 में इसे हटा दिया। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 2013 के आम चुनाव के दौरान मत पत्र में 'नन ऑफ़ द अबोव' बॉक्स जोड़ा गया लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने इसे हटा दिया।[4] लेकिन फ्रांस , फिनलैंड, कोलंबिया, यूनान, चिली, बेल्जियम, स्वीडन, ब्राज़ील, यूक्रेन, आदि देशों में नोटा का प्रयोग हो रहा है।[5]

अभी हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नोटा बटन से प्राप्त मतों में जनता ने राजनीतिज्ञों के लिए स्पष्ट संकेत दिया है। पहली बार एक गुलाबी बटन के रूप में ईवीएम में जोड़े गए इस बटन का प्रयोग वोटरों ने बड़ी संख्या में किया। पांच राज्यों के 15 लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा के माध्यम से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारो की अस्वीकृति दर्ज की। जिससे स्पष्ट है कि नोटा का प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं हुआ लेकिन परोक्ष प्रभाव जरूर नजर आता है। अब राजनीतिक दलों को अपनी उम्मीदवारो का चयन करते समय उनके चरित्र, कार्य शैली, ईमानदारी आदि पर विचार करना पड़ेगा। यदि नोटा में पड़े वोट किसी उम्मीदवार को डाले जाते तो चुनाव का परिणाम भी बदल सकता था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बाद में मिजोरम में हुए चुनाव में स्पष्ट रूप से जनता ने नोटा बटन दबाया था। हालांकि दिसंबर 2013 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नोटा बटन से प्राप्त मतों की संख्या से चुनाव अप्रभावित रहा लेकिन कम से कम मतदाता नकारात्मक मत डालने के लिए ही सही, घर से निकले जो एक तरह की जागरूकता है। छत्तीसगढ़ में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ तो वही मिजोरम में सबसे कम। राजस्थान की 200 सीटों पर कुल 5,89,879 मत नोटा में डाले गए और 11 सीट ऐसी थी जिसमें नोटा के मत की संख्या जीत के अंतर से अधिक थी। दिल्ली में चार सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा नोटा मत पड़े और कुल नोटा मतों की संख्या 49,892 रही। मध्य प्रदेश में कुल 6,43,144 मतदाताओं ने नोटा बटन का प्रयोग किया और कुल 25 सीटों पर नोटा वोट जीत के वोट से ज्यादा पड़े। वही छत्तीसगढ़ में जीत के अंतर से नोटा मत वाले क्षेत्र की संख्या 15 रही और कुल नोटा मतों की संख्या 40,088 रही। यह महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया कि इस बार सभी राज्यों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई हालांकि मतदान बढ़ाने के लिए किए गए अन्य जागरूकता अभियानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक और परिवर्तन हुआ कि जहां 2008 में हुए 66.41 प्रतिशत मतदान हुआ था वहीं इस बार रिकॉर्ड 74% मतदान हुआ।कुल मिलाकर 2014 के आम चुनाव में 1.08 फ़ीसदी वोट नोटा बटन के माध्यम से डाले गए।

नोटा क्या है -

*नोटा, 'नन ऑफ़ द अबोव' का सामान्य अर्थ है इनमें से कोई नहीं। अर्थात यदि चुनाव में मतदाता को उपलब्ध उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है और वह इनमें से किसी को भी मत देना नहीं चाहता तो वह अपना मत नोटा बटन दबाकर दे सकता है। जिसका अर्थ है उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी नहीं।

- वस्तुत नोटा का विकल्प मतदाताओं को ईवीएम में दर्ज सभी उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि नोटा के पक्ष में पड़े मतों की गणना करने की बजाय उन्हें रद्द मतों की श्रेणी में डाल दिया जाता है अर्थात नोटा के मतों का चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- नोटा, उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने का वह अधिकार है जिस से राजनीतिक दल ईमानदार, योग्य, तथा साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को ही संसद अथवा विधान सभा के टिकट देने को मजबूर होंगे। परिणाम स्वरुप राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराधीकरण जैसी बुराइयां दूर हो सकेगी।
- यह अधिकार लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाएगी
- वे बिना किसी भय के अयोग्य उम्मीदवारों को खारिज कर सकते हैं। इससे मतदाता अधिक सशक्त बनेंगे।
- इस बटन के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा पवित्रता को को सुनिश्चित किया जा सकेगा और राजनीतिक दल बेहतर उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे।
- नोटा की सहायता से किसी भ्रष्ट उम्मीदवार को बिना चुने अथवा मतदान नहीं करने की स्थितियों से अलग, अपना मत रिजेक्शन के रूप में देने का अधिकार प्राप्त हो गया। एक तरह से यह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी दल के उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प देता है लेकिन राजनीतिक उदासीनता को भी तोड़ता है यह राइट टू रिजेक्ट का हिस्सा है।

निष्कर्ष –

2013 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिले नोटा के अधिकार का बड़ी पैमाने पर प्रचार होना भी जरूरी है। नोटा का विकल्प मतदाताओं को अपनी नापसंद के उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है परंतु इसका चुनाव के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकतम मतदाताओं द्वारा अस्वीकृत करने के बावजूद भी कोई ना कोई उम्मीदवार चुनाव जीत ही जाएगा क्योंकि नोटा के मत परिणाम को प्रभावित नहीं करते। हालांकि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, नोटा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि इसके अंतर्गत प्राप्त मतों पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिशा में आवश्यक सुधार किए जाएं। नोटा में प्राप्त मतों को परिणाम के साथ जोड़ा जाए तभी यह प्रभावी साबित होगा। जिस निर्वाचन क्षेत्र में पड़े मतों में सर्वाधिक मत नोटा के हों तो वहां दोबारा चुनाव कराया जाए। इस से जनता भी जागरूक होगी और सतर्क होकर मतदान करेगी। यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को आत्म मंथन करना पड़ेगा और राजनीति में भी योग्य ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता सांसद और विधानसभा में पहुंचेंगे जो भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण जीत होगी।

संदर्भ

1. शर्मा शिवकुमार, पूर्व न्यायाधीश, अब नजरें चुनाव आयोग पर, लेख, राज. पत्रिका, जयपुर, 30.9.13
2. Mukherjee, Tapan Kumar, economic and political weekly, vol.42, issue no. 42, oct. 2013
3. छोकर, प्रोफ़ेसर जगदीप, आई आई एम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 21.12.2013
4. उपरोक्त बिंदु 3
5. प्रोफ़ेसर जगदीप छोकर, आई आई एम अहमदाबाद के पूर्व निदेशक, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, 21.12.2013